


(नियम 13)  
**General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}**  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

माया देवी पत्नी श्री गंगाराम जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान आदि।	-बनाम-	संजू देवी पत्नी मंगतूराम जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू आदि।
किस्म मुकदमा- दावा बाबत घोषणार्थ, विधिवत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. <u>143</u> / 2022 RCMS No

आदेश कार्यवाही विवरण पालना के क्रमांक व दिनांक

14.07.22 आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री स्नेहलता वर्मा द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक वादी के खर्चे पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

नीरंग लाल

14/8/22 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय परीक्षण उपस्थित। वकील वादी, प्रतिवादी ने ~~दस्तावेजात~~ हेतु पुन अवसर मांगा। अवसर दिया जात है। मिसल दिनांक 19.10.22 को पेश हो।  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़

19.10.22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी नवलगढ़ नगर/अखलाश/आनकाई में प्रस्तुत होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 31.10.22 को पेश हो।

31/10/22 पत्रावली पेश हुई। नवलगढ़ परीक्षण उपस्थित। वकील वादी, प्रतिवादी ने ~~दस्तावेजात~~ हेतु पुन अवसर मांगा। अवसर दिया जात है। मिसल दिनांक 9.11.22 को पेश हो।  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़

9.11.22 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उक्त। वकील वादी के उक्तान को नोटिस पर आगे नहीं चलाना माहाम अतः उक्तान नोटिस के आघाट पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फिलहाल उक्त। एडवोकेट नवलगढ़ से उक्त ही तथा बाइतकमील शामिल ~~दस्तावेजात~~।  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़

नेरंग लाल

